# राजस्थान सरकार

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

**प्रकरण संख्या – 273/2025** (GCMS C.N. 2025/716) **निगरानी**

1. कमलेश कुमारी पुत्री भंवरलाल पत्नी मांगीलाल गुर्जर निवासी जाल का खेड़ा हाल मु. अमरपुरा, जलिन्द्री पं.स बिजौलिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा (राज०)

बनाम

1. मोरपाल पिता भंवरलाल गुर्जर निवासी जाल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाडा
2. शिवराज पिता भंवरलाल गुर्जर निवासी जाल का खेड़ा तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाडा
3. गोपिया पत्नी भंवरलाल गुर्जर निवासी जाल का खेड़ा हाल निवासी होकमपुरा, किशनगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
4. बरमा पुत्री भंवरलाल पत्नी प्रकाश गुर्जर निवासी जाल का खेड़ा हाल निवासी होकमपुरा, किशनगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत राजगढ पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

**निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला बमामाले पत्रावली संख्या 79 पट्टा दिनांक 16.06.2022**

उपस्थित –

1. श्री श्यामलाल गुर्जर, अधिवक्ता, निगराकार की ओर से

## निर्णय

दिनांक 28/01/2026

निगराकारान द्वारा उक्त निगरानी अंतर्गत राजस्थान पंचायती राज० अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत गैर निगराकारान के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन है किया है कि ग्राम जाल का खेड़ा, ग्राम पंचायत राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा में निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजों के जीवनकाल से एक पुश्तैनी

28.1.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

मकान निर्मित होकर स्थित है। जिसके पड़ौस पूर्व में पड़त पंचायत। पश्चिम देवी/देवा गुर्जर उत्तर में आम रास्ता। दक्षिण में स्वयं का मकान जिसके मध्य निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजो के जीवनकाल से मकान बना हुआ होकर निगराकार/प्रार्थीया का भी हक अधिकार निहित है। गैर निगराकार संख्या–01 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत राजगढ पचायत समिति माण्डलगढ तहसील काछोला के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर निगरानी की कलम नम्बर 01 में अंकित पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु पंचायत राज सामान्य नियम 157 (1) के तहत दिनांक 05–04–2022 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पत्रावली संधारण कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा पचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पुश्तैनी मकान का पट्टा गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में दिनांक 16–06–2022 को जारी किया गया जबकि मकान निगराकार के पूर्वजो के जीवनकाल से बना हुआ होकर पुश्तैनी मकान है, जिसमें निगराकार का भी हित निहित है, जिससे अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा एक मात्र गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी मकान का पट्टा एक मात्र गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में जारी किया जो विधि विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है क्योकि पुश्तैनी मकान निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजो के जीवनकाल से निर्मित शुदा होकर मकान बना हुआ है, तथाकथित पुश्तैनी मकान निगराकार/प्रार्थीया का भी तथाकथित मकान में पूर्ण रूप से हक अधिकार निहित है। यह है कि निगरानी की कलम नम्बर 01 में अंकित पुश्तैनी मकान के लिए निगराकार के साथ–साथ गैर निगराकार संख्या–02 से लगायत 04 का भी हित निहित होकर स्वतंत्र रूप से पट्टा बनाने के वैधानिक अधिकारी है। किन्तु अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने गैर निगराकार संख्या–01 से मिलीभगत कर षडयन्त्र रचते हुए गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में विवादित पट्टा जारी किया गया जो खारिज योग्य है। क्योकि तथाकथित पुश्तैनी मकान निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजों के जीवनकाल से निर्मित होकर उपयोग उपभोग में चला आ रहा है। जिसका कि पंचायत राज सामान्य नियम 157 (ख) के तहत एकमात्र गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी करने का कोई कानूनी व हक अधिकार नहीं है। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ ग्राम पचायत ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी कर निगराकार के साथ–साथ गैर निगराकार संख्या–02 से लगायत 04 को अपने हक अधिकारों से वंचित कर दिया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पुश्तैनी मकान का पट्टा दिनांक 16–06–2022 निरस्त योग्य है।

अतः निगराकार/प्रार्थीया की निगरानी स्वीकार कराई जाकर तथाकथित पुश्तैनी मकान का अधीनस्थ ग्राम पचायत राजगढ ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में संकल्प संख्या–02 दिनाक 06–06–2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली संख्या–79 पट्टा दिनांक 16–06–2022 को जारी किया गया जिसे निरस्त कराया जाकर निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पक्ष में पट्टा विलेख जारी कराने के आदेश अधीनस्थ ग्राम पचायत राजगढ़ को जारी कराना फरमावे।

गैर निगराकार संख्या 01 से लगायत 04 की और से इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम जाल का खेड़ा, ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा में निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजो के जीवनकाल से एक पुश्तैनी मकान निर्मित होकर स्थित है। जिसके पड़ौस पूर्व में–पड़त पंचायत। पश्चिम देवी देवा गुर्जर उत्तर में आम रास्ता। दक्षिण में स्वयं का मकान। उक्त चारो पड़ौसो के मध्य निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 पूर्वजों के जीवनकाल से मकान बना हुआ होकर निगराकार/प्रार्थीया का भी हक अधिकार निहित है। गैर निगराकार संख्या–01 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत राजगढ पचायत समिति माण्डलगढ़ तहसील काछोला के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर

28.1.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगरानी की कलम नम्बर 01 में अंकित पुश्तैनी मकान का पट्टा बनाने हेतु पंचायत राज सामान्य नियम 157 (1) के तहत दिनांक 05–04–2022 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पत्रावली संधारण कर कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा पचायत राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157 (ब) के तहत पश्तैनी मकान का पट्टा गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में दिनांक 16–06–2022 को जारी किया गया जबकि मकान निगराकार के पूर्वजो के जीवनकाल से बना हुआ होकर पुश्तैनी मकान है, जिसमें निगराकार का भी हित निहित है, जिससे अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा एक मात्र गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। यह है कि जाल का खेड़ा, ग्राम पंचायत राजगढ तहसील माण्डलगढ हाल तहसील काछोला जिला भीलवाड़ा में निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजो के जीवनकाल से पुश्तैनी मकान निर्मित होकर स्थित है। जिसके पड़ौस पूर्व में पड़त पंचायत पश्चिम– देवी/देवा गुर्जर उत्तर में आम रास्ता। दक्षिण में स्वयं का मकान। उक्त चारों पड़ौसों के मध्य निगराकार व गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 के पूर्वजो के जीवनकाल से मकान बना हुआ होकर निगराकार/प्रार्थीया भी उसमें निवास करती चली आ रही है, तथाकथित पुश्तैनी मकान का अधीनस्थ ग्राम पचांयत राजगढ ने गैर निगराकार संख्या–01 के पक्ष में संकल्प संख्या–02 दिनांक 06–06–2022 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली संख्या–79 पट्टा दिनांक 16–06–2022 को जारी किया गया।

अतः निगराकारान् की और से विवादित पट्टे के सम्बन्ध में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे तो हम गैर निगराकार संख्या–01 से लगायत 04 को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि प्रश्नगत पटटा संख्या 79 जो कि संयुक्त परिवार के मकान को बनाया गया है जो निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकर्ता के संयुक्त स्वामित्व में है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है अतएव–

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

## आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत पोषणीय होने से स्वीकार की जाती है व ग्राम पंचायत राजगढ को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों के स्वामित्व के अनुरूप पुनः पटटा जारी करें। निर्णय की प्रति ग्राम विकास अधिकारी,ग्राम पंचायत राजगढ, पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28.1.26

अति. जिला कलक्टर

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा